न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

प्रार्थना पत्र स0:–149 /2025 पीठासीन अधिकारी–ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

राज्य सरकार जरिये, यादराम गुर्जर, कृषि अधिकारी, कोटपूतली

––प्रार्थी

बनाम

श्री बंशीधर पुत्र श्री लीलाराम ग्राम महनपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड़

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से रखे उर्वरक यूरिया के 120 बैग को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत।

उपस्थितः–

1. पैरोकर कृषि अधिकारी प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29/4/26

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मैं यादराम गुर्जर को राजस्थान सरकार, कृषि (ग्रुप–1) विभाग के आदेश कमाक प. 1(15) कृषि–1/2024 दिनांक 12.03.2024 के द्वारा कृषि अधिकारी (पी स.) पद पर कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि०) बहरोड़ में पदस्थापन किया गया है एवं राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या प. 12 (8) कृषि–1/इनपुट/16 दिसम्बर 2024 द्वारा उर्वरक निरीक्षक घोषित किया गया है।
2. अधोहस्ताक्षकर्ता दिनांक 18.06.2025 को सहायक कृषि अधिकारी मु० बबेरा से दूरभाष पर अवैध उर्वरक भण्डारण के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर पता महनपुर, बानसूर दुकान पर मध्याहन 02:00 बजे पहुंचा। निरीक्षण के दौरान मेरे साथ सहायक कृषि अधिकारी मु० बबेरा एवं कृषि पर्यवेक्षक मु० लोयती उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित दुकान मालिक श्री बंशीधर पुत्र श्री लीलाराम ग्राम महनपुर बानसूर मौके पर उर्वरक यूरिया के 120 बैग पाये गये। पूछने पर कोई दस्तावेज जैसे लाईसेन्स, खरीद बिल, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि उपलब्ध नहीं कर पाया। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार दूकान मालिक श्री बंशीधर पुत्र श्री लीलाराम के समक्ष एक नमूना आहरण किया गया। इसके पश्चात् मेरे द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (d) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.06.2025 को समय सायं 08:31 बजे स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त माल की जब्तीकरण कर जीएसएस बानसूर के व्यवस्थापक श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री गिरधारी लाल को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद ली गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही दोपहर 02:00 बजे से सायं 08:31 बजे तक की गई। जब्त किये गये प्रोडक्ट का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स	नाम	मात्रा
1	Neem Coated Urea	120gs X 45 Kg

साथ ही संबंधित थाना बानसूर आज दिनांक 19.06.2025 को एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। जिसका एफआईआर क्रमांक 0197 है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

3. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (d) के तहत जब्त किये गये उर्वरक की सूचना श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रपत्र में सादर प्रेषित है।
4. प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैराकार ने जब्त अवैध रूप से रखे उर्वरक यूरिया के 120 बैग उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। बाद तामिल अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जबाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की दुकान/गोदाम से आवश्यक वस्तुओं की जप्ती की गई है। यह जप्ती पूर्णतः तथ्यहीन एवं असत्य है। जिस स्थान पर कथित जप्ती दिखाई गई है वह स्थान प्रार्थी बंशीधर के स्वामित्व, कब्जे अथवा संचालन में नहीं है। प्रार्थी का उस स्थान एवं माल से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी का नाम बिना जॉच के इस प्रकरण में सम्मिलित कर दिया गया है जो कि न्याय एवं विधि के सिद्वांतों के विपरीत है। प्रकरण में अप्रार्थी साक्ष्य ना कराकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। अप्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।
5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी सरकार पैरोकार ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा बिना लाइसेंस एवं वैधानिक दस्तावेजों के भारी मात्रा में उर्वरक का भंडारण कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 का उल्लंघन किया है, जो धारा 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत दंडनीय है। राज्य उर्वरक प्रयोगशाला सीकर द्वारा जब्तशुदा यूरिया का सैम्पल का पास हो चुका है अतः जब्त माल को राजसात कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये उक्त जब्त माल किसी प्रकार का संबंध नही होना जाहिर किया है ।
6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फर्द जब्ती, मौका नक्शा, निरीक्षण रिपोर्ट, सुपुर्दगीनामा एवं जवाब का अवलोकन किया गया।
7. प्रार्थी सरकार पैरोकार के आरोप एवं उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार श्री बंशीधर पुत्र श्री लीलाराम द्वारा अवैध रूप से उर्वरक भंडारण कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। चूंकि उर्वरक एक आवश्यक, समयबद्ध उपयोग एवं बारिस में खराब होने वाली वस्तु है, अतः जब्तशुदा 120 बैग यूरिया को राजसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 120 बैग नीम कोटेड यूरिया (प्रति बैग 45 किग्रा) को राजसात किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) एवं जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्त उर्वरक का नियमानुसार उचित मूल्य पर निस्तारण/विक्रय करवाकर प्राप्त राशि को राजकोष के निर्धारित मद में जमा कराकर पालना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), बहरोड़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।
10. निर्णय आज दिनांक 29/4/26. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)